

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

27/1/2024 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय जप. I.P.O
सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 9/3/2024 को पेश हो। *Ar*

9/3/2024

वकील अर्धी उप0। अर्धी बावजूद सम्यक तामिल के
अनुपस्थित। अतः अर्धी के विरुद्ध एड पक्षीय कार्यवाही
अमल में लायी जाती है। बहस वकील अर्धी सुनी गई।
वास्ते निर्णय पत्रावली दि. 15/3/2024 को पेश है।

(Ar)

15/3/2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील
प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित
रहने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय
कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस
पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने
प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन
किया है कि प्रार्थी का सही नाम दानाराम पुत्र ख्यालीराम
है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से
गलत नाम हरदान पुत्र ख्यालीराम दर्ज कर दिया गया है,
जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है।
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पेन कार्ड,
CGHS कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक खाता पासबुक व
राजस्व ग्राम मावण्डा कलां तह. नीमकाथाना के भूमि
खाता संख्या 264 जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 की
प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थी का नाम दानाराम पुत्र
ख्यालीराम है, से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद
होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे
जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में
प्रार्थी का नाम हरदान पुत्र ख्यालीराम अंकित है। प्रार्थी
का कथन कि प्रार्थी का सही नाम दानाराम पुत्र
ख्यालीराम है की पुष्टि आधार कार्ड, पेन कार्ड, CGHS
कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक खाता पासबुक व राजस्व
ग्राम मावण्डा कलां तह. नीमकाथाना के भूमि खाता
संख्या 264 जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 की प्रति से
होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात
के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना
न्यायोचित है।


(Ar)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मंडोली तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 191 जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरदान पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर दानाराम पुत्र ख्यालीराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(~~हरीशंकर कुमहार~~)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (तीकर)